

माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

पत्रांक संख्या 380/XXIV-3/2005 शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून दिनांक 21 नवम्बर 2005 के अनुसार बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	शुल्का का नाम	कक्षा 11-12		कक्षा 9-10		कक्षा 7-8		कक्षा 6		अन्य
		वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	
1	शिक्षण शुल्क									
	कला एवं वाणिज्य	20.00	20.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
	विज्ञान वर्ग	25.00	25.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
2	विलम्ब दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
3	अनुपस्थित दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
4	मंहगाई शुल्क	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	मासिक
5	विकास शुल्क	8.00	8.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	मासिक
6	विज्ञान शुल्क	3.50	4.00	1.50	2.00	-	-	-	-	मासिक
7	रेडक्रास	0.15	1.00	0.15	1.00	0.10	1.00	0.10	1.00	मासिक
8	क्रीड़ा	0.40	2.00	0.30	2.00	0.20	1.00	0.20	1.00	मासिक
9	स्काउट गाइड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	मासिक
10	प्रगति पत्र	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	वार्षिक

1 1	पुस्तकालय / वाचनालय	8.00	10.00	8.00	10.00	4.00	0.00	4.00	0.00	वार्षिक
1 2	गृह परीक्षा	8.00	12.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	छमाही
1 3	निर्धन छात्र निधि	1.00	3.00	1.00	3.00	0.10	2.00	0.10	2.00	छमाही
1 4	जलपान	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	छमाही
1 5	श्रव्य दृश्य	0.10	2.00	0.10	2.00	0.10	1.00	0.10	1.00	छमाही
1 6	वाहन शुल्क छात्रों हेतु	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	मासिक
	अध्यापकों हेतु	15.00	50.00	—	—	—	—	—	—	मासिक
1 7	विद्युत	1.50	2.00	1.50	02.00	1.50	0.00	1.50	0.00	छमाही
1 8	पत्रिका	1.50	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वार्षिक

सं. संक.

रंजना  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

मा० शिक्षा अनुभाग-5

विषय:- राज्य के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे विभिन्न शुल्कों की दरों को पुनरीक्षण/वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/अका०अनु०/27620-21/शुल्क/2015-16 दिनांक 01 फरवरी, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

देहरादून, दिनांक: 29 मार्च, 2016

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 380/xxiv-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005 राज्य के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में कक्षा-6 से 12 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 380/xxiv-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005 में शुल्क की निर्धारित दरों का तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित/वृद्धि करते हुए राज्य के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा-9 से कक्षा-12 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे शिक्षण शुल्क की दर निम्नांकित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित/वृद्धि की जाये।  
हुर अध्ययनरत् विद्यार्थियों से संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क प्राप्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

"शिक्षण शुल्क"

क्र०सं०	शुल्क का नाम	कक्षा 11-12		कक्षा 09-10		अन्य
		वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	
	छात्रनिधि शुल्क					
1	विज्ञान शुल्क	4.00	5.00	2.00	पूर्ववत्	मासिक
2	कीड़ा	2.00	3.00	2.00	3.00	मासिक
3	गृह परीक्षा	12.00	15.00	10.00	12.00	छमाही
4	जलपान	2.00	3.00	2.00	3.00	छमाही
5	प्रगति पत्र	1.00	2.00	1.00	2.00	वार्षिक

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 21 नवम्बर, 2005 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें/दरें पूर्ववत् लागू रहेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आ०शा०सं०: 421(P)XXVII(3) 15-16 दिनांक 16.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,  
(रंजना)  
अपर सचिव